

## आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक तारीख- 10/05/2023 से 12/05/2023

जिला- बोकारो, संख्या:- 02 / 2023-2024

केस का प्रकार:- विविधवाद

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
10/05/2023	<p>आवेदक रोहन महतो पिता स्व० गोविन्द महतो, ग्राम बरई, पो० नारायणपुर, थाना पेंक (नारायणपुर), जिला बोकारो द्वारा आवेदित किया है कि मेरे पूर्वज के नाम से खाता सं० 46, प्लॉट सं० 75 अन्य, रकबा 2.56 ए० ऑनलाईन पंजी ॥ के पृ०सं० 92/1 पर वीर साही महतो पिता फागु महतो के नाम से जमाबंदी दर्ज है। प्लॉट सं० 122, रकबा 0.10 ए० भूमि ऑनलाईन पंजी ॥ में दर्ज नहीं है जिसे पंजी ॥ में दर्ज करने की कृपा किया जाय।</p> <p>हल्का राजस्व उपनिरीक्षक का जॉच प्रतिवेदन प्रभारी अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त करें।</p> <p>अभिलेख दिनांक 12/05/2023 को उपस्थापित करें।</p> <p style="text-align: right;"><i>Ankha</i> अंचल अधिकारी, नावाडीह।</p> <p>अभिलेख उपस्थापित।</p> <p>हल्का राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा बरई, थाना सं० 40, जमाबंदी सं० 92/1, खाता सं० 46, प्लॉट सं० 122, रकबा 0.10 ए० भूमि रैयती खाते की है ऑनलाईन पंजी ॥ में उक्त प्लॉट का रकबा दर्ज किया जा सकता है।</p> <p>अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज तथा हल्का राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर मौजा बरई, थाना सं० 40, जमाबंदी सं० 92/1, खाता सं० 46, प्लॉट सं० 122, रकबा 0.10 ए० तथा प्लॉट सं० 75 अन्य, रकबा 2.46 ए० दर्ज करने का आदेश दिया जाता है।</p> <p>हल्का राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक को आदेश दिया जाता है कि उक्त पंजी ॥ में संबंधित प्लॉट एवं रकबा दर्ज करें।</p> <p>इसके साथ ही वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित।</p> <p style="text-align: center;"><i>Ankha</i> अंचल अधिकारी, नावाडीह।</p> <p style="text-align: right;"><i>Ankha</i> अंचल अधिकारी, नावाडीह।</p>	